पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 सुपौल (पर्यटन)–141/2013– पटना–15, दि0– 29 31

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

पटना, दिनांकः– 15-07-13

संख्या........1790/रा0

अधिघोषणा

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–आसनपुर कुपहा, थाना सं0–93, परगना– नारेदिगर, थाना– किसनपुर, जिला– सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात मार्गीय सुविधा निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– आसनपुर कुपहा थाना सं0 93 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 7.52 (सात एकड़ बावन डी0) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

<u>पूर्ण खेसरा संख्याः–</u> 124, 125, 136, 138, 139, 140, 142, 143 एवं 144

<u>अंश खेसरा संख्याः–</u> 126, 127, 135, 137, 141, 145, 146 एवं 147

<u>चौहद्दीः–</u>
<u>उत्तरः–</u> मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0–127 एवं 123, 122, 121, 145 एवं 146

<u>दक्षिणः–</u> मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0–135, 137, 141, 147 एवं 151

<u>पूरबः–</u> मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0– 146 एवं 147

पश्चिमः– मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का एन0एच0–57 पथ।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता,
सुपौल।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1790/रा0 दिनांकः– 15-07-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि ात संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं अंचल अधिकारी, किसनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12/7/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।